न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, जयपुर

अपील नम्बर 55/2013(जीसीएमएस नम्बर 2005/00001)

1. श्रीमती बिमला देवी पत्नी श्री राजेन्द्र कुमार जाति मीणा
2. श्रीमती छोटी देवी पत्नी जगदीश जाति मीणा निवासी ग्राम कलेशान तहसील राजगढ़ जिला अलवर।

अपीलान्टस

बनाम

1. जगदीश पुत्र श्री नहनचाराम जाति गूजर
2. बंशी पुत्र श्री बन्ता उर्फ बसन्ताराम जाति गूजर
3. मन्ना पुत्र श्री बन्ता उर्फ बसन्ताराम जाति गूजर
4. मदन पुत्र श्री बन्ता उर्फ बसन्ताराम जाति गूजर
5. बबली पुत्र श्री बन्ता उर्फ बसन्ताराम जाति गूजर
6. धासीराम पुत्र बन्ता उर्फ बसन्ताराम जाति गूजर
   निवासी ग्राम आमकीवाल तहसील राजगढ जिला अलवर।

असल रेस्पोडेन्टस

7. नायब तहसील राजगढ जिला अलवर।
8. हरदयाल पुत्र भोरा जाति गूजर
9. फत्याराम पुत्र भोन्दू जाति गूजर
10. कल्याराम पुत्र श्री भोन्दू जाति गूजर
11. छोटेलाल पुत्र श्री भोन्दू जाति गूजर
12. गोपाल पुत्र श्री भोन्दू जाति गूजर,
    निवासी ग्राम आमकीवाल तहसील राजगढ जिला अलवर।

तरतीबी रेस्पोडेन्टस

अपील अर्न्तगत धारा 76 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 विरुद्ध जिला कलक्टर अलवर निर्णय दिनांक 16.05.2005 अपील संख्या 71/04 जिसके द्वारा असल रेस्पोडेन्ट की प्रथम अपील स्वीकार किये जाने व इन्तकाल संख्या 1661 निरस्त किये जाने की आज्ञा बेजाखिलाफ कानून पारित की गई।

उपस्थित–

1. श्री गिर्राज प्रसाद गुप्ता, अधिवक्ता अपीलान्ट।
2 श्री लक्ष्मणसिंह पोसवाल, वकील रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 6 की ओर से अनुपस्थित।
3 श्री चन्द्रशेखर बेनीवाल, अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 7 की ओर से।

निर्णय

दिनांक – 17.10.2024

1. यह अपील राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 76 के अन्तर्गत जिला कलक्टर अलवर के निर्णय दिनांक 16.05.2005 के खिलाफ प्रस्तुत हुई है।

2. प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य निम्न प्रकार है कि नायब तहसीलदार राजगढ़ के निर्णय दिनांक 16.11.2004 द्वारा अपीलान्टस के हक में नामान्तकरण संख्या 1661 दर्ज कर मंजूर किया गया। जिससे व्यथित होकर रेस्पोडेन्ट संख्या 1 से 6 ने अधीनस्थ न्यायालय जिला कलक्टर अलवर के यहॉ अपील प्रस्तुत की गयी। अधीनस्थ न्यायालय जिला कलक्टर अलवर ने अपीलाधीन निर्णय दिनांक 16.05.2005 द्वारा अपील मंजूर की जाकर नामान्तरकरण संख्या 1661 वाके राजगढ़ को निरस्त करने एवं राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी में इन्तकाल निरस्त किये जाने का नोट लगाये जाने तथा प्रकरण इस निर्देश के साथ

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जयपुर

रिमाण्ड किया गया कि नियमित वाद के निर्णय के अनुसार कार्यवाही अमल मे लायी जाने के आदेश पारित किये गये हैं।

3. जिला कलक्टर, अलवर के निर्णय दिनांक 16.05.2005 से व्यथित होकर अपीलान्ट श्रीमती बिमला देवी पत्नी श्री राजेन्द्र कुमार वगै0 द्वारा यह अपील प्रस्तुत कर स्वीकार करने एवं अपीलाधीन आदेश न्यायालय जिला कलक्टर, अलवर का निर्णय दिनांक 16.05.2005 निरस्त करने तथा इंतकाल संख्या 1661 यथावत रखे जाने की प्रार्थना की गयी है।

4. अपील प्रस्तुत होने पर रेस्पोडेन्टस की तलबी की गई। अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड तलब किया गया। प्रार्थीयागण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 41 नियम 27 एवं 151 सी.पी.सी. के संलग्न प्रमाणित दस्तावेजों को रिकार्ड पर लिया गया। उभयपक्ष के अधिवक्तओं की बहस सुनी गई।

5. अपीलान्टस के योग्य अधिवक्ता ने बहस के दौरान अपील मीमो में अंकित तथ्यों को दौहराते हुये मुख्य रूप से कथन किया गया कि ग्राम राजगढ़ तहसील राजगढ में आराजी खसरा नंबर 1704 रकबा 0.72 ऐयर स्थित है जिस आराजी के तरतीबी रेस्पाडेण्ट फतेहराम, कल्याराम, छोटेलाल, गोपाल पुत्रान् भोन्दू व हरदयाल पुत्र भोरा रिकार्डेड खातेदार काश्तकार है, जिन्होने इस आराजी के अपने हकूक कब्जे काश्त खातेदारी का बेचान जरिये दस्तावेज बयनामा दिनांक 06.11.04 के अपीलान्टस सं .1, 2 को कर दिया व प्रतिफल लेकर कब्जा आराजी का दिया और इस रजिस्टर्ड बयनामा के आधार पर नायब तहसीलदार राजगढ ने दिनाक 16.11.2004 को इन्तकाल संख्या 1661 हम अपीलान्टस के हक में स्वीकार कर दिया। इस इन्तकाल संख्या 1661 दिनांक 16.11.2004 से असन्तुष्ट होकर इसके विरूद्व असल रेप्पाडेण्टस सं 1 लगायत 06 ने अदालत जिला कलेक्टर अलवर में अपील संख्या 71/04 दायर की। जिस पर न्यायालय जिला कलेक्टर अलवर ने दिनांक 16.05.2005 को अपील स्वीकार कर इन्तकाल सं. 1661 निरस्त किये जाने की आज्ञा पारित कर दी। उक्त निर्णय अदालत मातहत न्यायिक विधि एवं तथ्यों व पत्रावली के सर्वथा विपरीत है, जिससे निरस्त किये जाने योग्य है। इन्तकाल एक समरी प्रोसीडिंग है जो मात्र राजस्व रिकार्ड को मैनटैन करने के लिये किया जाता है और इस प्रकार इन्तकाल संख्या 1661 हम अपीलान्टस के हक में स्वीकार होने से असल रेस्पाडेण्टस के किसी अधिकार का हनन नहीं होता है, अगर असल रेस्पाडेण्ट्स अपने दावे में विजयी होगें तो उसी डिक्री के अनुरूप उनके हक में इन्तकाल होकर कागजात में अमल हो जावेगा। ऐसी सूरत में रेस्पोडेन्टस की प्रथम अपील खारिज किये जाने योग्य है एवं इन्तकाल संख्या 1661 बदस्तूर कायम रखे जाने योग्य है। परन्तु मातहत अदालत ने गौर नहीं किया व बेजा निर्णय जैर अपील पारित किया है जो अपास्त किये जाने योग्य है। तरतीबो रेस्पाडेन्ट्स सं 8 लगायत 12 विवादित आराजी के रिकार्डेड खातेदार काश्तकार है और उन्होनें अपने जायज हकूको पर विवादित आराजी का बेचान हम अपीलान्टस को जरिये रजिस्टर्ड बयनामा दिनांक 06.11.2004 को प्रतिफल प्राप्त कर कब्जा दिया है। जिसके बाद से लगातार विवादित आराजी पर हम अपीलान्ट्स का कब्जा काश्त चला आ रहा है व आज भी हम काबिज है और नायब तहसीलदार महोदय ने इस रजिस्टर्ड बयनामा के आधार पर हमारे हक में सही प्रकार से इन्तकाल सं. 1661 स्वीकार किया है जो बदस्तूर कायम रहने योग्य है। परन्तु मातहत अदालत ने गौर नहीं किया। असल रेस्पोडेण्टस का विवादित आराजी से कोई ताल्लुक व वास्ता किसी किस्म का नहीं है एवं उनका इस आराजी पर कोई कब्जा काश्त नही रहा है। अतः अपील पेश कर निवेदन है कि अपीलाण्ट की अपील स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय जिला कलक्टर अलवर का निर्णय दिनाक 16.05.2005 को खारिज फरमाया जाकर नायब तहसीलदार राजगढ द्वारा स्वीकृत नामान्तकरण संख्या 1661 दिनांक 16.11.2004 को यथावत रखा जावे।

6. राजकीय अधिवक्ता ने बहस के दौरान अपील का विरोध करते हुये मुख्य रूप से कथन किया कि अपीलाधीन आदेश जिला कलक्टर अलवर उचित एवं विधिसम्यक है। अतः अपीलाधीन आदेश यथावत रखते हुये अपील अपीलान्ट खारिज की जावे।

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जयपुर

7. हमने प्रकरण के अभिलेखों का अवलोकन कर प्रकरण के तथ्यों पर विचार किया एवं उभयपक्ष के योग्य अधिवक्ता की बहस पर मनन किया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से जाहिर होता है कि विवादित भूमि तरतीबी रेस्पोडेन्ट संख्या 8 लगायत 12 जो उक्त भूमि आराजी के रिकार्डेड खातेदार काश्तकार ने अपीलान्ट्स को रजिस्टर्ड विक्रय पत्र से दिनांक 06.11.2004 को विक्रय की गयी है। नायब तहसीलदार राजगढ द्वारा विक्रय पत्र के आधार पर नामान्तरकरण संख्या 1661 दिनांक 16.11.2004 को दर्ज किया गया है। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 लगायत 6 द्वारा एक दावा बाबत इस्तकरारहक मय दुरूस्ती इन्द्राज तथा हुक्मईम्तनाई दवामी का न्यायालय उपखण्ड अधिकारी राजगढ की अदालत में जगदीश बनाम हरदयाल के नाम से दर्ज करवा रखा है जिसके साथ प्रार्थना पत्र धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम एवं धारा 151 जा0दी0 के तहत भी प्रस्तुत कर रखा है, जिसमें न्यायालय ने दिनांक 02.01.2003 को रेस्पोडेन्ट संख्या 8 लगायत 12 को रहन बय द्वारा मुन्तकिल नही करने के लिये भी पाबन्द किया गया है, लेकिन इसके बावजूद भी रेस्पोडेन्ट संख्या 8 लगायत 12 ने उक्त विवादित आराजी का विक्रय अपीलान्ट संख्या 1 व 2 को दिनांक 6.11.2004 को कर दिया गया। नायब तहसीलदार राजगढ़ द्वारा रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के आधार पर नामान्तकरण संख्या 1661 दिनांक 16.11.2004 स्वीकृत किया गया है। जिससे स्पष्ट है कि विवादित आराजी रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के आधार पर दिनांक 06.11.2004 को बेचान की गयी है। जबकि नियमित वाद में अस्थाई निषेधाज्ञा से उक्त विवादित भूमि पर बैचान निषेध था। दौराने नियमित वाद जिसमें अस्थाई निषेधाज्ञा से विक्रेतागण को पाबन्द किया हुआ है, ऐसी स्थिति में किया गया बेचान वैध प्रतीत नहीं होता है। नायब तहसीलदार राजगढ़ द्वारा दौराने स्थगन रजिस्ट्री एवं नामान्तरकरण की कार्यवाही की गई है जो विधिवत नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय जिला कलक्टर अलवर द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 16.05.2005 में किसी प्रकार की विधिक त्रुटि प्रतीत नहीं होती है तथा अपीलाधीन आदेश में हम हस्तक्षेप किया जाना उचित नही समझते हैं। ऐसी स्थिति में अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज किये जाने योग्य है।

अतः अपील अपीलान्ट खारिज की जाकर अपीलाधीन आदेश जिला कलक्टर अलवर दिनांक 16.05.2005 को यथावत रखा जाता है।

(डॉ0 प्रवीण कुमार)
अति. संभागीय आयुक्त,
जयपुर

निर्णय आज दिनांक 17.10.2024 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

अति. संभागीय आयुक्त,
जयपुर